भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 9

उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

समग्र शिक्षा अभियान और पीएम-श्री योजना के तहत धनराशि

†*9 **श्री बापी हलदर:**

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023 से 2025 तक समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) और पीएम-श्री योजना के अंतर्गत विशेषकर पश्चिम बंगाल और केरल में जारी की गई, रोकी गई अथवा विलंबित धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल के मथुरापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्यालय अवसंरचना अथवा उन्नयन हेतु कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल राज्य को उक्त योजना के अंतर्गत रोकी गई 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या धनराशि जारी करने में विलंब के कारण देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर केरल में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अवसंरचना विकास, शिक्षक प्रशिक्षण अथवा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ है;

(च) सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों का समाधान करने और राज्यों, विशेषकर केरल में सर्व शिक्षा अभियान का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) राजनीतिक संबद्धता से हटकर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में शैक्षणिक समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (छ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य श्री बापी हलदर और श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा 'समग्र शिक्षा अभियान और पीएम-श्री योजना के तहत धनराशि' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): वर्ष 2023-24 और 2024-25 हेतु समग्र शिक्षा और पीएम-श्री योजना के अंतर्गत जारी की गई राज्य-वार निधि का ब्यौरा संलग्न है।

(ख): भारत सरकार के पास पश्चिम बंगाल के मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल के बुनियादी संरचना या उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) से (छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न घटकों हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी और बी) में परिलक्षित होती है। तत्पश्चात, इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से किया जाता है। निधियां वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर जारी की जाती हैं, अर्थात् व्यय की गति, आनुपातिक राज्य हिस्सेदारी की प्राप्ति, लेखा-परीक्षित लेखाएं, संचयी राज्य हिस्सेदारी का विवरण, बकाया अग्रिमों का विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, यथा निर्धारित सूचना प्रस्तुत करना।

समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है। पीएम-श्री की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना और समय के साथ आदर्श स्कूल के रूप में उभरना तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों का नेतृत्व करना भी है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई और एल), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित है। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से अब तक 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम बंगाल और केरल सहित तीन राज्यों ने पीएम श्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पीएम श्री समझौता ज्ञापन के मामले पर सचिव और केंद्रीय मंत्री के स्तर पर अनुरोध और अनुस्मारक भेजे गए हैं।

चूंकि, पश्चिम बंगाल और केरल राज्य समग्र शिक्षा योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं, जिसे एनईपी 2020 के साथ अनुकूलित किया गया है, इसलिए यह उचित होगा कि राज्य पीएम श्री योजना सहित एनईपी 2020 की सभी पहलों को कार्यान्वित और प्रदर्शित करने के लिए आगे आएं ताकि राज्यों के सरकारी स्कूलों को सर्वोत्तम स्कूल शिक्षा सेवाओं की सुविधा के लिए आदर्श स्कूलों के रूप में विकसित किया जा सके। वास्तव में, समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन एनईपी 2020 का कार्यान्वयन है और पीएम श्री स्कूल एनईपी 2020 के आदर्श स्कूल हैं।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री बापी हलदर और श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा 'समग्र शिक्षा अभियान और पीएम-श्री योजना के तहत धनराशि' के संबंध में दिनांक 21.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

समग्र शिक्षा और पीएम-श्री के तहत जारी की गई राज्य-वार निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समग्र शिक्षा		पीएम-श्री	
		वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	55.28	60.52	1.56	2.83
2	आंध्र प्रदेश	1289.41	1240.11	106.46	294.12
3	अरुणाचल प्रदेश	475.04	575.85	4.21	33.87
4	असम	1810.48	2026.77	57.36	142.35
5	बिहार	4241.73	4217.81	-	-
6	चंडीगढ़	116.36	118.58	0.64	1.25
7	छत्तीसगढ़	776.59	830.66	19.73	37.35
8	दिल्ली	146.09	385.39	-	-
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	41.30	54.63	0.65	1.01
10	गोवा	18.66	16.34	3.25	4.63
11	गुजरात	1132.53	1245.54	32.95	63.58
12	हरियाणा	578.80	536.44	25.59	56.09
13	हिमाचल प्रदेश	485.97	526.20	-	135.35
14	जम्मू एवं कश्मीर	865.44	823.49	52.39	99.72
15	झारखंड	1104.93	1074.44	-	38.8
16	कर्नाटक	828.09	868.30	26.4	62.78
17	केरल	141.66	-	-	-
18	लद्दाख	52.23	140.00	4.04	11.91
19	लक्षद्वीप	1.00	3.06	1.09	0.72
20	मध्य प्रदेश	2981.51	3434.71	44.52	145.32
21	महाराष्ट्र	1001.19	1126.25	63.42	226.14
22	मणिपुर	257.22	465.59	17.63	37.82
23	मेघालय	394.18	362.83	4.29	20.08
24	मिजोरम	274.14	216.52	4.12	4.96
25	नागालैंड	231.25	211.41	0.97	5.44
26	ओडिशा	1236.61	1672.39	-	130.5
27	पुदुचेरी	12.47	12.46	2.05	2.99
28	पंजाब	331.12	678.13	-	94.25
29	राजस्थान	3202.89	3090.65	24.6	118.69
30	सिक्किम	132.60	122.74	10.18	15.1
31	तमिलनाडु	1876.16	-	-	-
32	तेलंगाना	920.13	988.79	59.82	342.09
33	त्रिपुरा	341.33	420.03	11.8	38.45
34	उत्तर प्रदेश	4276.45	6264.79	121.49	246.86
35	उत्तराखंड	440.57	646.78	57.41	58.6
36	पश्चिम बंगाल	311.29	-	-	-
कुल		**32382.70**	**34458.21**	**758.62**	**2473.69**

स्रोत: प्रबंध

*(-) राज्यों ने पीएम-श्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे/हैं।